# फर्द अहकाम

## न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

मांगीचन्द बनाम शंकरपती

मुकदमा नम्बर :– 14/24

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रुप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 13/6/24 | प.क्र. उप./ वकील वादी व प्रतिवादी हाजिर। प्रस्ताव को मध्ये नजर रखवाल/मकानात व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदार है। जिनका पत्रावली में वर्णित विवादित आ.खे.नम्बरान का तकसीम नहीं किया हुआ है। वादी की वाईसाली पत्रावली का जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार रखवाल/मकानात व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मध्ये नजर के आधार पर बाउन्डरीज एवं बकब्जा तकसीम करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा.कि. को/ तहसीलदार चौमूं को आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारों की उपस्थिति में कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर पेश करे। तहसीलदार चौमूं को कुर्रेजात हेतु तहरीर जारी हो/ पत्रावली वास्ते कुर्रेजात हेतु दिनांक 08/7/24 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर) | प्रतिवादी सं. 1 को तकसीम करते हुए डिक्री करने (इस) बाबत कोई आपत्ति नहीं है [signature] 13/6/24 [signature] 13/6/24 |
| | 08/7/24 | प.क्र. उप./ पत्रावली वास्ते कुर्रेजात में रहकर आगामी दिनांक 26/7/24 को पेश हो। [signature] | |
| | 26/7/24 | प.क्र. उप./ कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। कुर्रेजात पर बहस सुनी गयी। वकील वादी व प्रतिवादी सं. 1 के अधिवक्ता के मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार डिक्री किये जाने बाबत [signature] सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर) | कुर्रेजात मुताबिक F.D की जाती है कोई आपत्ति नहीं है [signature] 26/7/24 [signature] प्रतिवादी सं. 1 26-7-24 |

# फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

बनाम

मुकदमा नम्बर :– /

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रुप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | | निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। हल्का रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का वाद मुताबिक हल्का रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर जा. नि. किया गया। अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर के बाद हो। दाखिल दफ्तर हो। [signature]<br>सहायक कलक्टर<br>चौमूं (जयपुर) | |

मु0सं0–14/2024
उनवान–भागचन्द बनाम रामेश्वरी वगै0
निर्णय दिनांक–26.07.2024

# डिक्री मुकददमा इब्तदाई
## (आदेश 20 के नियम 6 और 7)
## न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर (ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी :–प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

**उनवान**

भागचन्द पुत्र खांगला, जाति जाट, निवासी ग्राम नांगलकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

**बनाम**

1. रामेश्वरी पत्नी भागचन्द
2. साधुराम पुत्र रुड़ा
3. जगदीश पुत्र रुड़ा
4. सुखाराम पुत्र रुड़ा
5. रामेश्वर पुत्र रुड़ा
6. ग्यारसीलाल पुत्र गोधा
7. गोविन्दराम पुत्र गोधा

   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम नांगलकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. बैंक ऑफ इण्डिया, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
10. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल एसबीआई बैंक, गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
11. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स हाल पंजाब नेशनल बैंक, गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

## वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
### अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

**मुकदमा नम्बर :–14/2024**

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी एवं प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियंका बड़गूजर आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि–

विवादित भूमि वाके ग्राम नांगलकलां, पटवार हल्का नांगलकलां, भू0अ0नि0क्षेत्र गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के खाता सं0 30 के खसरा नं0 800 रकबा 1.19 है0, खसरा नं0 801 रकबा 0.31 है0, खसरा नं0 802 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 803 रकबा 0.43 है0, खसरा नं0 804 रकबा 0.56 है0, खसरा नं0 805 रकबा 0.61 है0, कुल

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

मु0सं0–14/2024
उनवान–भागचन्द बनाम रामेश्वरी वगै0
निर्णय दिनांकः–26.07.2024

किता 6 का कुल रकबा 3.31 हैक्टेयर भूमि का मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 10.07.2024 के अनुसार निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता हैः–

1. ग्यारसीलाल पुत्र गोधा हिस्सा 1/4, गोविन्दराम पुत्र गोधा हिस्सा 1/4, जगदीश पुत्र रुड़ा हिस्सा 1/8, रामेश्वर पुत्र रुड़ा हिस्सा 1/8, सुखाराम पुत्र रुड़ा हिस्सा 1/8, साधूराम पुत्र रुड़ा हिस्सा 1/8, जाति जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 804/1 रकबा 0.5195 है0, खसरा नं0 805/1 रकबा 0.5839 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 1.1034 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गई है।
2. रामेश्वरी पत्नी भागचन्द हिस्सा 1/2, भागचन्द पुत्र खांगला हिस्सा 1/2, जाति जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 804/2 रकबा 0.0405 है0, खसरा नं0 805/2 रकबा 0.0261 है0, खसरा नं0 800 रकबा 1.1900 है0, खसरा नं0 801 रकबा 0.3100 है0, खसरा नं0 802 रकबा 0.2100 है0, खसरा नं0 803 रकबा 0.4300 है0, कुल किता 6 का कुल रकबा 2.2066 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शायी गई है।

निजी ..........मबलिक ............... बाबत ...............खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .................................. फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ........ को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 26.07.2024 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत..........................
ओहदा..........................
सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

## वाद के खर्चे

| वादी | | प्रतिवादी | |
|---|---|---|---|
| | रुपया | | रुपया |
| 1. स्टाम्प अर्जी दावा<br>2. स्टाम्प वकालतनामा<br>3. स्टाम्प वजह सबूत<br>4. महन्ताना वकील<br>5. खर्चा गवाहन<br>6. फीस कमिश्नर<br>7.बाबत इजराय हुक्मनामा<br>8.मुतफरिक | 4<br>1 | 1. स्टाम्प अर्जी दावा<br>2. स्टाम्प वकालतनामा<br>3. महन्ताना वकील<br>4. खर्चा गवाहन<br>5. फीस कमिश्नर<br>6.बाबत इजराय हुक्मनामा<br>7.मुतफरिक | 1 |
| जोड़ | 5 | जोड़ | 1 |

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

मु0सं0—14 / 2024
उनवान—भागचन्द बनाम रामेश्वरी वगै0
निर्णय दिनांक:—26.07.2024

# न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर (ग्रामीण)

## पीठासीन अधिकारी :—प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

---

**उनवान**

भागचन्द पुत्र खांगला, जाति जाट, निवासी ग्राम नांगलकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

**—वादी—**

**बनाम**

1. रामेश्वरी पत्नी भागचन्द
2. साधुराम पुत्र रुड़ा
3. जगदीश पुत्र रुड़ा
4. सुखाराम पुत्र रुड़ा
5. रामेश्वर पुत्र रुड़ा
6. ग्यारसीलाल पुत्र गोधा
7. गोविन्दराम पुत्र गोधा

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम नांगलकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

8. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. बैंक ऑफ इण्डिया, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
10. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल एसबीआई बैंक, गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
11. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स हाल पंजाब नेशनल बैंक, गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

**—प्रतिवादीगण**

## वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

### अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## निर्णय

**दिनांक:—26.07.2024**

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं प्रतिवादीया सं0 1 उपस्थित। वकील वादी एवं प्रतिवादीया सं0 1 को सुना गया। वकील वादी एवं प्रतिवादीया सं0 1 द्वारा वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री के अनुसार आए कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांकित 10.07.2024 पर सहमति जताते हुए वादपत्र को अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली में सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वादपत्र तकासमा का है व खातेदारों का रिकॉर्ड व मौके के अनुसार तकासमा किया जाना है। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 10.07.2024 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम नांगलकलां, पटवार हल्का नांगलकलां, भू0अ0नि0क्षेत्र गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के खाता सं0 30 के खसरा नं0 800 रकबा 1.19 है0, खसरा नं0 801 रकबा 0.31 है0, खसरा नं0 802 रकबा 0.21 है0,

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

मु0सं0–14/2024
उनवान–भागचन्द बनाम रामेश्वरी वगै0
निर्णय दिनांक:–26.07.2024

खसरा नं0 803 रकबा 0.43 है0, खसरा नं0 804 रकबा 0.56 है0, खसरा नं0 805 रकबा 0.61 है0, कुल किता 6 का कुल रकबा 3.31 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है:–

1. ग्यारसीलाल पुत्र गोधा हिस्सा 1/4, गोविन्दराम पुत्र गोधा हिस्सा 1/4, जगदीश पुत्र रुड़ा हिस्सा 1/8, रामेश्वर पुत्र रुड़ा हिस्सा 1/8, सुखाराम पुत्र रुड़ा हिस्सा 1/8, साधूराम पुत्र रुड़ा हिस्सा 1/8, जाति जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 804/1 रकबा 0.5195 है0, खसरा नं0 805/1 रकबा 0.5839 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 1.1034 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गई है।
2. रामेश्वरी पत्नी भागचन्द हिस्सा 1/2, भागचन्द पुत्र खांगला हिस्सा 1/2, जाति जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 804/2 रकबा 0.0405 है0, खसरा नं0 805/2 रकबा 0.0261 है0, खसरा नं0 800 रकबा 1.1900 है0, खसरा नं0 801 रकबा 0.3100 है0, खसरा नं0 802 रकबा 0.2100 है0, खसरा नं0 803 रकबा 0.4300 है0, कुल किता 6 का कुल रकबा 2.2066 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शायी गई है।

अंतिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री व निर्णय का जुज रहेगा।
निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
चौमूं

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)